संख्याः 74/2017- 513/नौ-5-2017-31बजट/2010

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक/एस.एल.एन.ए.,
नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत वाराणसी सीवरेज (ट्रांस वरूणा क्षेत्र) की पुनरीक्षित लागत के साक्षेप धनराशि की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- एसएमएमयू/346/124(6)/2017, दिनांक 22.03.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत वाराणसी सीवरेज (ट्रांस वरूणा क्षेत्र) की पुनः पुनरीक्षित लागत रू0 53322.00 लाख, जिसकी प्रशासकीय वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 3706/नौ-5-2016-31बजट/2010, दिनांक 15-12-2016 द्वारा निर्गत की गयी है, के अनुसार परियोजना की लागत वृद्धि की धनराशि रू0 12591.00 लाख में से राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाला 70 प्रतिशत अंश रू0 8813.70 लाख से **रू0 7996.92 लाख (रू0 उन्यासी करोड़ छियान्नबे लाख बान्नवे हजार मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित विवरण एवं शर्तो/उपबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र.	परियोजना का नाम	भा/स द्वारा अनुमोदित लागत/ पुनरीक्षित लागत/ पुनः पुनरीक्षित लागत	लागत वृद्धि	लागत वृद्धि में राज्यांश के रूप में वहन किये जाने वाला 70 प्रतिशत अंश	कालम-5 के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	वाराणसी सीवरेज (ट्रांस वरूणा क्षेत्र)	30912.00/ 40731.00/ 53322.00 (Centage Rs. 5625.16 Lacs)	53322.00 - 40731.00 = **12591.00**	8813.70	**7996.92**

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर परियोजना हेतु स्वीकृत सेन्टेज की धनराशि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी। अवशेष धनराशि स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) के खाते में रखी जायेगी तथा धनराशि को यथाप्रक्रिया व्यय किया जायेगा।

(2) प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज) की दर के सन्दर्भ में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 एवं बढ़ी हुई लागत के संदर्भ में निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(3) सेन्टेज की गणना का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, नगरीय निकाय एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम का होगा। यदि सेन्टेज की गणना में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, तो इसका समायोजन भविष्य में स्वीकृत होने वाली सेन्टेज की धनराशि से किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, स्थानीय निकाय/ एसएलएनए तथा कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समयसमय पर शासन - द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/ उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत "लेखाशीर्षक- 2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-191-नगर निगमों को सहायता-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-जेएनएनयूआरएम की योजनाओं हेतु सहायता (के.50/रा.20-के.रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016-बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अजय कुमार ओझा)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 74/2017- 513(1) /नौ-5-2017-31बजट/2010, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, वाराणसी।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
8- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9- कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार ओझा)
अनु सचिव।